उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी. 12वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F54116 /09/NOC-229/2016 दिनॉक 13-1-15

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 वेलस्पन ऊर्जा उत्तर प्रदेश प्रा0लि0,
ग्राम, ददरी खुर्द,
तहसील– सदर,
जनपद– मिर्जापुर।

विषय:–पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन (जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 (यथासंशोधित) की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा, 21 के अन्तर्गत स्थापनार्थ पूर्व सहमति) ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनॉक–25/11/2014 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामन्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1 अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:–

(क) स्थल:–न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर मिर्जापुर द्वारा वाद संख्या–05/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 05–11–2012 में आच्छादित समस्त भूखण्ड, ग्राम–ददरी खुर्द, तहसील–सदर मिर्जापुर उ0प्र0।

(ख) उत्पादन :– विद्युत = 2x660MW (कोयले पर आधारित)

(ग) **मुख्य कच्चे मालः–** (1) **जल = 96048 घन मीटर/ दिन**

(2) **इम्पोर्टेड कोल = 0.036 मिलियन टन/दिन**

(घ) **औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :– शून्य**

(ड़) **प्रयुक्त ईधन – इम्पोर्टेड कोल = 0.036 मिलियन टन/दिन**

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2 उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र,संयंत्र, हरित पट्टिका, (कुल क्षेत्रफल का 33%) उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3 उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नही करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवम् वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4 उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पुर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।

5 प्रस्तावानुसार उद्योग द्वारा 20 कि0ली0/दिन घरेलू प्रयोजन से जनित बहिश्राव के शुद्धीकरण हेतु एस0टी0पी0 की स्थापना की जायेगी।

6 प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धीकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य के लिए दिये गये आदेश/निर्माण की प्रगति आख्यॉ, इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

7 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्त विशिष्ट/सामान्य शर्तो का अनुपालन समयबद्ध रूप से किया जायेगा।

8 प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल भूमि 354.11 हेक्टेअर है जिसमें से 319.42 हेक्टेअर भूमि का औद्योगिक प्रयोजन में परिवर्तन कराया गया है। शेष भूमि का भू–प्रयोग औद्योगिक कराकर एक माह में प्रस्तुत किया जायेगा।

9 Total Project Land का 0.02% भाग वाटर बाडीज में है। उस वाटर बाडीज को Process/ Service ater requirewment हेतु स्टोरेज के लिए प्रयोग किये जाने के संबंध में उद्योग द्वारा इसका पूर्ण तकनीकी विवरण एक माह में दिया जायेगा।

10 During no restriction period में गंगा नदी से 36 एमसीएम जल की आपूति हेतु अपर खजूरी जलाशय तथा गंगा नदी स्थित पम्पिंग स्टेशन के मध्य उचित स्थान पर यथा क्षमता का सेटलिंग पाण्ड का निर्माण किया जायेगा जिसकी क्षमता/डिजायन डिटेल्स एक माह में प्रस्तुत किया जायेगा।

11 गंगा नदी से जल उठाये जाने के संबंध में जल संशाधन मंत्रालय, भारत सरकार , केन्द्रीय जल आयोग एवं अन्य मंत्रालयों से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर तीन माह में प्रस्तुत किया जायेगा।

12 लीन सीजन (जनवरी से मई) में गंगा नदी से कोई जल नही लिया जायेगा केवल अपर खजुरी डैम से जल आपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में शपथ पत्र एक माह में प्रेषित किया जायेगा।

13 ब्वायलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक तकनीक का ई0एस0पी0 स्थापित किया जायेगा चिमनी की ऊचाई भूतल से कम से कम 275 मीटर स्थापित की जायेगी। SPM (Pm_{10}, $Pm_{2.5}$) एवं मरकरी की आंन लाइन मानिटरिंग हेतु ब्यवस्था स्थापित किया जायेगा।

14 उद्योग द्वारा उ0प्र0वन निगम से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जंगली जीव जन्तुओं तथा संरक्षित वन सम्पदा पर पडने वाले अधिप्रभाव के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक माह में प्रस्तुत किया जायेगा।

15 वैगन ट्रिपलर एरिया में डस्ट सप्रेशन सिस्टम स्थापित किया जायेगा तथा स्टाक पाइल पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जायेगा। उपरोक्त के संबंध में तकनीकी प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जायेगा।

16 AWRS के अन्तर्गत उपयोग किए जाने वाले 537 किली0/घंटा जल में फ्रेस वाटर तथा वेस्ट वाटर का ब्रेकअप तथा फ्लाई ऐश एवं बाटम ऐश का ब्रेकअप एक माह में प्रस्तुत किया जायेगा। अधिकाधिक मात्रा में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सीमेन्ट उत्पादन व अन्य निर्माण कार्यो हेतु किया जायेगा।

17 ऐश पाण्ड एरिया में उचित स्थानों पर पीजोमीटर की स्थापना की जाएगी।

18 भू–जल/सतही जल के नमूनों की गुणता (हैवी मेटल इत्यादि) की जॉच की जायेगी।

19 उद्योग परिसर में 20 किली0/दिन क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जायेगा।

20 बैचिंग प्लान्ट में डस्ट सप्रेशन सिस्टम तथा अन्य ब्यवस्थायें स्थापित किया जायेगा।

21 कोल क्रशर हाउस में डस्ट सप्रेशन सिस्टम, ड्राई फाग सिस्टम तथा डस्ट इक्सट्रैक्शन सिस्टम (बैग फिल्टर्स) स्थापित किया जायेगा।

22 ई0एस0पी से फ्लाई ऐश को साइलो तक ले जाने हेतु आटोमेटिक ब्यवस्था स्थापित की जायेगी।

23 भू–गर्भ जल दोहन हेतु भूजल विभाग एवं अन्य संबंधित एथारिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा।

24 उद्योग परिसर में दिये गये प्रस्ताव के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ब्यवस्था की जायेगी।

25 उद्योग में केवल इम्पोर्टेड कोल का ही प्रयोग किया जायेगा। कोल सप्लाई से संबंधित रेलवे/सप्लायर एवं उद्योग के बीच का करारनामा छः माह में प्रस्तुत किया जायेगा।

26 जनित ड्राई ऐश/ बाटम ऐश को जमा प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न उत्पादन प्रकियाओं हेतु प्रयोग किया जायेगा, अवशेष भाग यदि बचता है तो इस हेतु ऐश वाटर रिसरकुलेशन सिस्टम स्थापित कर शून्य उत्प्रवाह सुनिश्चित किया जायेगा।

27 ई0टी0पी0 से निस्तारित उत्प्रवाह को परिसर में ही सिंचाई इत्यादि में उपभोगित करते हुए शून्य उत्प्रवाह सुनिश्चित किया जायेगा।

28 उद्योग निर्माण के दौरान मजदूरो इत्यादि हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जायेगा।

29 निमार्ण के दौरान स्थापित होने वाले बैचिंग प्लान्ट को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त करने ही संचालित किया जायेगा।

30 भूगर्भ जल के प्रयोग की स्थिति में केन्द्रीय जल आयोग/भूजल विभाग से अनापत्ति प्रमाण/स्वीकृति तीन माह में प्रस्तुत किया जायेगा।

31 एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन प्रिवेलिंग विन्डडारेक्शन में राज्य बोर्ड की सहमति से स्थापित किया जायेगा।

32 उद्योग निर्माण के दौरान नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम एवं वाटर बाडीज को सुरक्षित रखा जायेगा।

33 उद्योग स्थल के आस–पास के गॉवों में ग्रामीणों के आर्थिक/सामाजिक/ शैक्षिक रोजगार हेतु नियमित कार्यवाही सुनिश्चित कर, प्रत्येक माह प्रगति आख्यॉ प्रेषित करें।

उपरोक्त वर्णित विशिष्ट शर्तो में से क्रम सं0 07 से 33 पर अंकित शर्ते संबेदनशील श्रेंणी की हैं। उक्त का समयबद्ध रूप से अनुपालन न किये जाने की दशा में उद्योग से प्राप्त बैंकगारन्टी संख्या–0300715BG0000013/2015 रू.10,00,000/–(**रू.दस लाख**) मात्र दि. 05–01–2015 राज्य बोर्ड के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में 28.02.2015 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी। माननीय एन.जी.टी. में श्री देवादित्यो सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य में दायर अपील सं० 79/2014 के अन्तर्गत जारी आदेश का अनुपालन मे० वेलस्पन ऊर्जा (यू.पी.) प्रा० लि० द्वारा किया जाना बाध्यकारी होगा।

भवदीय,

/

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

(हस्ताक्षर)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–9